# भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला

(आदेश–फलक)

भूमि वापसी वाद संख्या–20/2017–18

केस का प्रकार :– भू वापसी

लछु उरांव, पिता–स्व0 शिवु उरांव ..... आवेदक

–बनाम–

गजेन्द्र दास, पिता–रघुनाथ दास एवं अन्य–01 .....विपक्षी

| क्रमांक/तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|

23.07.2020

यह वाद श्री लछु उरांव, पिता–स्व0 शिवु उरांव, निवासी ग्राम–ईचड़ा, थाना–जादुगोड़ा, अंचल–मुसाबनी, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत भूमि वापसी आवेदन पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, मुसाबनी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, मुसाबनी के पत्रांक–174, दिनांक–19/02/2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त के आलोक में श्री गजेन्द्र दास एवं नरेन्द्र दास, दोनो के पिता–रघुनाथ दास, ग्राम–ईचड़ा, नवरंग मार्केट, थाना–जादुगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को विपक्षी बनाते हुए वाद प्रारम्भ की गयी। तदनुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। विवादित भूमि का विवरणी निम्न प्राकर है:–

| मौजा | थाना नं0 | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| ईचड़ा | 1103 | 220 | 495 | 0.04½ ए0 |

उभय पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से दिनांक–13/06/2019 को कारण–पृच्छा दाखिल किया गया हैं।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में विपक्षी का नाम राजेन्द्र दास एवं नगेन्द्र दास, पिता–रघुनाथ दास के विरूद्ध वाद दायर किया गया है। अंचल अधिकारी, मुसाबनी ने भी जाँच प्रतिवेदन में विपक्षी का नाम राजेन्द्र दास एवं नगेन्द्र दास, पिता–रघुनाथ दास प्रतिवेदित किया गया है। इसलिए अभिलेख प्रारम्भ करने के समय विपक्षी का नाम राजेन्द्र दास एवं नगेन्द्र दास, पिता–रघुनाथ दास के नाम दर्ज किया गया है। परन्तु विपक्षी अपना उपस्थिति गजेन्द्र दास एवं नरेन्द्र दास, पिता–रघुनाथ दास के नाम पर अपना उपस्थिति दर्ज की गयी है। तदनुसार अंतिम आदेश पर विपक्षी का नाम गजेन्द्र दास एवं नरेन्द्र दास, पिता–रघुनाथ

दास अंकित किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर लिखित बहस एवं आवेदन पत्र में उल्लेख है कि हाल सर्वे 1964 के खतियान में शिवु उरांव, रामचरण उरांव, मोदी उरांव तथा पूर्ण उरांव, पिता–धारमु उरांव के नाम पर विवादित भूमि दर्ज हैं, जो आवेदक के पिता हैं। खतियानी रैयत के मृत्यु के पश्चात आवेदक उक्त भूमि पर शांति पूर्वक रहत आ रह था तथा लगान भी वर्ष–2015–16 तक दिया गया है। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य है और विपक्षी प्रश्नगत भूमि को वर्ष 2009 से छल–परपंच एवं धोखाधड़ी के माध्यम से अवैध रूप से एवं जबरन कब्जा किये हुए है। जिससे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 का उलंघन हुआ है। अतः आवेदक छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71(A) के तहत प्रश्नगत भूमि को भू–वापसी (Restore) करने का अनुरोध किया गया हैं।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कारण–पृच्छा में उल्लेख है कि यह वाद विपक्ष के खिलाफ मिथ्या दायर किया गया हैं तथा विधि सम्मत तरीके में तथा तथ्यात्मक बिन्दुओं पर कोई सत्यता नहीं है। विवादित भूमि मौजा ईचड़ा, थाना नं0–1103, खाता नं0–220, प्लॉट नं0–495, रकवा–0.04½ एकड़ से संबंधित है। विपक्षी प्रश्नगत भूमि श्री गियारसी लाल शर्मा, पिता–स्व0 नानक राम शर्मा, ग्राम–ईचड़ा से बिक्री केवाला संख्या–2948, दिनांक–25 मई–1990 को उप–निबंधन कार्यालय, जमशेदपुर में निबंधन कराया। अंचल अधिकारी, मुसाबनी द्वारा नामांतरण भी कर दिया जिसका नामांतरण मुकदमा संख्या–25/1991–92, दिनांक–29/04/1991 है और लगान भी वर्ष–1998 तक भुगतान किया गया है। उक्त भूमि पर विपक्षी के द्वारा वर्ष–1991 में पक्का मकान बनाकर शांति पूर्वक रहते आ रहे है। मकान का अनुमनित मूल्य लगभग 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख) रूपये है। विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत भूमि को आवेदक से किसी भी प्रकार से छल–कपट या धोखाधड़ी से नही लिया है। विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण विगत 39 वर्षो के पूर्व हुआ है जबकि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71'A' में स्पष्ट है कि किसी भी भूमि का हस्तांतरण के 30 वर्षो के अन्दर आवेदक को भूमि वापसी आवेदन दायर करना चाहिए था परन्तु इस वाद मे उससे अधिक अवधि से विपक्षी का उक्त भूमि पर दखल हैं। इसलिए आवेदक का आवेदन को खारिज किया जाय।

अंचल अधिकारी, मुसाबनी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात तथा अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहँचता है कि विवादित भूमि वर्ष 1964 के हाल सर्वे खतियान में अनुसूचित जनजाति के सदस्य शिवु उरांव, राम चरण उरांव, मोदी उरांव तथा पूर्ण उरांव, पिता–धरमु उरांव के नाम पर दर्ज हैं। आवेदक खतियानी रैयत के पुत्र है। उक्त विवादित भूमि का पंजी–II में नामांतरण मुकदमा संख्या–25/1991–92 से विपक्षी के नाम पर जमाबंदी कायम है। हस्तांतरण वैधिक नही है साथ ही विपक्षी के पास 10,00,000.00 (दस लाख ) रूपये का पक्का मकान बना हुआ है। आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य हैं तथा विपक्षी अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा आवेदक की जमीन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 का उल्लंघन कर अवैध रूप से दखल किया गया है।

अतः छोटानागपुर काश्तकरी अधिनियम–1908 की धारा 71(A) के तहत आवेदक के आवेदन को स्वीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–ईचड़ा, थाना नं0–1103, खाता नं0–220, प्लॉट नं0–495, रकवा–0.0.04½ एकड़ भूमि में से खाली भूखण्ड को सात दिनों के अन्दर तथा उक्त भूमि पर अवस्थित संरचना को 6 (छः) माह के अन्दर हटाकर प्रथम पक्ष को वापस की जाय तथा अंचल अधिकारी, मुसाबनी को निदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि के खाली भूखण्ड को सात दिनों के अन्दर तथा उक्त भूमि पर अवस्थित संरचना को 6 (छः) माह के अन्दर हटाकर प्रथम पक्ष को दखल दिलाकर न्यायालय में प्रतिवेदन दें। तदनुसार अंचल अधिकारी, मुसाबनी को दखल दिहानी पारवाना निर्गत करें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक–...23../..07../2020 को पारित किया जा रहा हैं।

यदि पारित आदेश के विरुद्ध किसी को अपाति हो तो वे सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित

23/07/19

भूमि सुधार उप समाहर्ता
घाटशिला।

23/07/19

भूमि सुधार उप समाहर्ता
घाटशिला।